[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 15/2021-सीमाशुल्क

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2021

सा.का.नि.....(अ).- केंद्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 जो सा.का.नि. 1341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी, का और संशोधन करती है, अर्थात् **:-**

उक्त अधिसूचना की सारणी में,

(i) क्रम सं.1 के सामने स्तंभ (2) में अंक "5003" के स्थान पर अंक "5002, 5003" रखे जाएंगे ।

(ii) क्रम सं.2 के सामने स्तंभ (4) में अंक और चिह्न "10%" के स्थान पर अंक और चिह्न "15%" रखे जाएंगे ।

(iii) क्रम सं.5 के सामने स्तंभ (2) में अंक "5204, 5205, 5206, 5207", के स्थान पर "5202,5204, 5205, 5206, 5207" अंक रखे जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना 2 फरवरी, 2021 से प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 334/02/2021-टीआरयू]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

टिप्पण :- मूल अधिसूचना, अधिसूचना सं. 82/2017-सीमाशुल्क, तारीख 27 अक्तूबर, 2017 भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सं. सा.का.नि.1341(अ), तारीख 27 अक्तूबर, 2017 द्वारा प्रकाशित की गई थी और अंतिम बार अधिसूचना सं. 11/2020-सीमाशुल्क, तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा संशोधित तथा संख्या सा.का.नि. 71(अ), तारीख 2 फरवरी, 2020 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित की गई थी ।